संख्या-23/2026/1699/22-2-2024-17(448)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 जनवरी, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजगोपाल पुत्र श्री घनश्याम, निवासी जनपद-हमीरपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-30380/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-03.10.2024), दिनांक 08.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजगोपाल पुत्र श्री घनश्याम, कलियारी, थाना-जरिया, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। आपसी रंजिश में बंदी ने दिनांक 15.03.2010 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, लाठी, टकोरा व सरिया से वारकर सरबती नामक महिला की हत्या कर दी व 01 लड़की से बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-183/2010 में भा0द0वि0 की धारा-452, 323/34, 324/34, 308/34, 304/34, 376(2) छः के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-08 इटावा के आदेश दिनांक 11.12.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 01.06.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 01 माह की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न आने, भविष्य में अपराध किये जाने से इन्कार नही किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में आपसी रंजिश में बन्दी द्वारा दिनांक 15.03.2010 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, लाठी, टकोरा व सरिया से वारकर सरबती नामक महिला की हत्या कर दी व 01 लड़की से बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बृजगोपाल पुत्र श्री घनश्याम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजगोपाल (बंदी संख्या-26536) पुत्र श्री घनश्याम, निवासी जनपद-हमीरपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-23/2026/1699(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर।
2- पुलिस अधीक्षक, हमीरपुर।
3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-23/2026/1699/22-2-2024-17(448)/2025

दिनांक 12 जनवरी, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बृजगोपाल पुत्र श्री घनश्याम, कलियारी, थाना-जरिया, जनपद-हमीरपुर का निवासी है। आपसी रंजिश में बंदी ने दिनांक 15.03.2010 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, लाठी, टकोरा व सरिया से वारकर सरबती नामक महिला की हत्या कर दी व 01 लड़की से बलात्कार किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र संख्या-183/2010 में भा0द0वि0 की धारा-452, 323/34, 324/34, 308/34, 304/34, 376(2) छः के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-08 इटावा के आदेश दिनांक 11.12.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 01.06.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 01 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 17 वर्ष, 01 माह की सजा भोग ली गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर द्वारा बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न आने, भविष्य में अपराध किये जाने से इन्कार नही किये जाने, जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में आपसी रंजिश में बन्दी द्वारा दिनांक 15.03.2010 को अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, लाठी, टकोरा व सरिया से वारकर सरबती नामक महिला की हत्या कर दी व 01 लड़की से बलात्कार करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बृजगोपाल पुत्र श्री घनश्याम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।